पत्रांक: 1294-99 दिनांक: 01.08.2019

निविदा विज्ञप्ति निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक: ए.एल.सी. कैम्प/ई-टेण्डर/1284-88/2019-20 दिनांक 31.07.2019 द्वारा जनपद महोबा में सर्व शिक्षा अभियान समेकित शिक्षा के अन्तर्गत समेकित शिक्षा द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2019-20 में 01 एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प के बच्चों, स्टाफ हेतु पका-पकाया भोजन तथा नाश्ता एवं यूनिफार्म आदि की आपूर्ति हेतु आमंत्रित की गयी निविदायें अपरिहार्य कारणों से निरस्त की जाती है।

महेश प्रताप सिंह
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महोबा

कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर नगर

पत्रांक: 1550/वि.आ.अ./का.न./नीलामी/2019-20 दिनांक 01 अगस्त 2019

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सहायक आबकारी आयुक्त, कानपुर नगर को आवंटित वाहन संख्या यू.पी. 70 बाई 5209 जीप की पुनः नीलामी दिनांक 08-08-2019 को समय 1.00 बजे कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय कानपुर टेनरी कम्पाउण्ड में संपादित की जायेगी। जो व्यक्ति / संस्था नीलामी में भाग लेना चाहते है, तो रू. 10,000/- कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त में जमाकर, संदर्भित तिथि को नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते है। विभाग में कार्यरत कर्मचारी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते है।

सम्पूर्ण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार, जिलाधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि कोई व्यक्ति निष्प्रयोज्य वाहन का निरीक्षण करना चाहता है, तो वह किसी कार्य दिवस में कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।

अरविन्द मौर्य
सहायक आबकारी आयुक्त /
जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर नगर

Frontier Springs Ltd.

Regd. Off.: KM 25/4 Kalpi Road Rania ,Kanpur Dehat- 209304
Tel. No. 05111-240212-13, Fax No. 05111-240214
Website:http://www.frontiersprings.co.in
E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, CIN: L17119UP1981PLC005212

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 (a) read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 14,2019, at 1.00 p.m. at Km 25/4 Kalpi Road, Rania, Kanpur Dehat -209304

1) To consider, approve and take on record the Un-audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2019.
2) To decide the date and venue of 39th Annual General Meeting.

The information contained in this notice is also available on the Company's Website **www.frontiersprings.co.in** and 'BSE Limited' **(www.bseindia.com)**

Pursuant to this, the company has decided to close the trading window from July 1,2019 for all its Directors, Employees/ Designated Officials till the conclusion of forty-eight hours from the conclusion of the Board Meeting to be held on Wednesday, August 14,2019.

For Frontier Springs Limited
Sd/-
Dhruv Bhasin
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 02.08.2019
Place: Kanpur

कराया। शुक्रवार सुबह घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक खाली प्लॉट में उषा का शव पेड़ से लटका मिला। युवती का शव पेड़ से लटका देख इलाके में हड़कंप मच गया।

... सिंह ने ब... रिपोर्ट में आत्महत्या की ... आशंका जतायी जा रही है ... आकर युवती ने फांसी लगा...

विदेशी बनकर फेसबुक पर ... फिर 1.19 लाख रुपये की ...

कानपुर (एसएनबी)। साइबर ठगों ने फेसबुक पर विदेशी बनकर पहले दोस्ती की फिर ग्वालटोली निवासी महिला अधिवक्ता से 1.19 लाख रुपये ठग लिये। मामले की जानकारी होने पर महिला अधिवक्ता ने ग्वालटोली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

वीडियो कालिंग के जरिये ठग ने दिलाया विश्वास मामले की दर्ज हुई रिपोर्ट

ग्वालटोली निवासी महिला अधिवक्ता रमा ने बताया कि कुछ समय पहले एक विदेशी युवक की फ्रेंड रिक्वेस्ट आयी थी। दोस्ती होने के बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप कालिंग के जरिये बात होने लगी थी। इस दौरान रमा ने बताया कि उन्हें हार्ट और स्किन की बीमारी है। युवक ने झांसा दिया कि वह विदेश के एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज करा देगा। कुछ दिनों बाद विदेशी युवक ने कहा कि मैंने आपको सरप्राइज गिफ्ट जेट एयरवेज कोरियर कंपनी से भेजा है। 15 जुलाई को एक महिला ने फोन करके मुंबई एयरपोर्ट कस्टम से बोल ... नाम लंदन से एक गिफ्ट आया है। ... के नाम पर 27,900 रुपये जमा ... बाद एक घंटे बा... आया कि पार्सल ... पर पता चला ... विदेशी पौंड छि... जिसकी भारतीय ... से करोड़ों की ... पेनाल्टी के तौर ... रुपये और जमा कराया। दोबारा ... करके इंटरनेशनल सार्टिफिकेट ... 1.72 लाख रुपये की मांग की। इ... का दिमाग खटका और जानकारी ... उनको झांसे में लेकर 1.19 रुप... लिया है। इंस्पेक्टर ग्वालटोली ... महिला अधिवक्ता की तहरीर पर ... जांच शुरू कर दी गई है।

कानपुर विकास प्राधिकरण — आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड सं. 431 ब्लाक डी स्कीम-39 जाजमऊ कानपुर की लीजडीड दिनांक 18.09.1968 को श्री मनोहर दबीर पुत्र स्व. गणेश राय दबीर नि. 113/11 जे.के. कालोनी कानपुर के पक्ष में प्रति वर्ष रू. 1.00 पट्टा भाड़ा के साथ 999 वर्ष की पट्टा अवधि के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु कुल क्षेत्रफल 356.00 वर्ग गज की निष्पादित की गई थी। वर्तमान में पत्र सं. 2363/LA(BU)BHU/5751 दिनांक 05.04.1986 के अनुसार प्लाट सं. 341 ब्लाक डी. स्कीम-39 जाजमऊ पर मूल पट्टेदार के रूप में सर्व श्री विपिन चन्द्र मिश्रा, श्री सतीश चन्द्र मिश्रा पुत्रगण श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा नि. 48/32 लाठी मोहाल कानपुर का नाम अंकित है। पक्षगणों द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार वर्णित भूखण्ड के सह पट्टा धारक श्री सतीश चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा की मृत्यु दिनांक 04.07.2017 को तथा इनकी पत्नी श्रीमती शोभा मिश्रा की मृत्यु दिनांक 31.10.2010 को हो चुकी है। प्रस्तुत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सं. 142/अह.फौज./2017 दिनांक 06.01.2018 दिनांक 06.01.2018 जो कि कार्यालय उप जिलाधिकारी (सदर) कानपुर नगर द्वारा निर्गत है की छाया प्रति के अनुसार स्व. सतीश चन्द्र मिश्रा पुत्र स्व. प्रकाश चन्द्र मिश्रा के पारिवारिक सदस्य निम्नवत् है:- (1) श्री प्रांशु मिश्रा, मृतक का पुत्र, उम्र 32 वर्ष। (2) श्री प्रशान्त मिश्रा, मृतक का पुत्र, उम्र 28 वर्ष। उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य पारिवारिक सदस्य नहीं है। जिसके क्रम में ही उपरोक्तानुसार वर्णित क्रमांक 1 व 2 पर अंकित वारिसानों श्री प्रांशु मिश्रा एवं श्री प्रशान्त मिश्रा पुत्रगण स्व. सतीश चन्द्र मिश्रा नि. 124/126 सी. ब्लाक गोविन्द नगर, कानपुर नगर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्रों, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र आदि की प्रतियों को प्रस्तुत करते हुये वर्णित भूखण्ड के आधे भाग (सह पट्टा धारक स्व. सतीश चन्द्र मिश्रा के स्थान पर) पर अपना अपना विरासतन के आधार पर संयुक्त रूप से नामान्तरण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में इनके अलावा यदि कोई अन्य वारिस हो और अपना हक रखता हो अथवा किसी अन्य को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति प्रमाणित साक्ष्यों सहित लाकर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय जोन-1 में प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर वर्णित भूखण्ड पर विरासतन के आधार पर वर्णित भूखण्ड के आधे भाग (सह पट्टा धारक स्व. सतीश चन्द्र मिश्रा के स्थान पर) पर श्री प्रांशु मिश्रा एवं श्री प्रशान्त मिश्रा पुत्रगण स्व. सतीश चन्द्र मिश्रा के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

के.के. सिंह, संयुक्त सचिव विक्रय (जोन-1)